



जीविका

गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार



प्रथम तल, विद्युत भवन -2, बेली रोड, पटना - 800 021, दूरभाष : +91-612-250-4980, फैक्स : +91-612-250 4960, ईमेल : info@brlp.in, वेबसाईट : www.brlp.in

पत्रांक :- BRLPS/Proj-Comm/950/16/458

दिनांक :- 02.06.2020

कार्यालय आदेश

आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी, कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सजग है। बिहार के पूरे समुदाय का यह नैतिक जिम्मेवारी है कि वह सोशल डिस्टेंस (एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच 6 फीट की दूरी) का पालन करें तथा मास्क का प्रयोग करें। 03 जून 2020 को पूर्वाह्न 12.30 बजे माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा कोरोना की रोकथाम हेतु मास्क के संबंध में जन संदेश कार्यक्रम प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम **News18** एवं **Zee (Bihar/Jharkhand)** पर प्रसारित किया जाएगा। उक्त जन संदेश कार्यक्रम हेतु निम्न गतिविधियाँ किया जाना है :-

1. इस जन संदेश कार्यक्रम को जीविका के जिला, प्रखंड, संकुल स्तरीय संघ/ग्राम संगठन एवं कृषक प्रशिक्षण एवं सूचना केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंस (एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच 6 फीट की दूरी) का पालन करते हुए दिखाया जाना है।
2. सभी संकुल संघ, जिनके कार्यालय हैं उनमें दीदियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का जन संदेश कार्यक्रम सोशल डिस्टेंस (एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच 6 फीट की दूरी) का पालन करते हुए दिखाया जाना है।
3. प्रबंधक संचार द्वारा प्रत्येक जिला, प्रखंड, संकुल स्तरीय संघ/ग्राम संगठन एवं कृषक प्रशिक्षण एवं सूचना केन्द्र स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का जन संदेश कार्यक्रम दिखाए जाने वाले स्थानों की सूची 02 जून 2020 संध्या 7 बजे तक Google Doc (<https://forms.gle/Eqa4SMYv91iMMVin6>) पर अद्यतन करना है।
4. जिस समूह सदस्य के पास टी.वी. है वहाँ जीविका दीदियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का जन संदेश कार्यक्रम को सोशल डिस्टेंस (एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच 6 फीट की दूरी) का पालन करते हुए देखा जाना है।
5. सभी स्वयं सहायता समूह सदस्यों के बीच कोरोना की रोकथाम हेतु मास्क उपयोग की महत्ता पर चर्चा की जानी है।
6. प्रबंधक संचार द्वारा प्रत्येक जिला, प्रखंड, संकुल स्तरीय संघ/ग्राम संगठन एवं कृषक प्रशिक्षण एवं सूचना केन्द्रों पर आयोजित कार्यक्रमों से सम्बंधित विस्तृत प्रतिवेदन एवं चित्र एक सप्ताह के अंदर राज्य कार्यालय को भेजा जाएगा।

(बालामुरुग)

प्रतिलिपि :-

1. सभी सम्बंधित पदाधिकारी- राज्य कार्यालय
2. सभी सम्बंधित पदाधिकारी- जिला कार्यालय
3. सभी सम्बंधित पदाधिकारी-प्रखंड कार्यालय को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।